भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1181

(16 दिसम्बर, 2013 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डी॰आर॰डी॰ए॰ का वार्षिक सम्मेलन

1181. श्री विजय जवाहरलाल दर्डा:

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2011 और 2012 में 612 से अधिक जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले परियोजना निदेशकों के वार्षिक सम्मेलनों के दौरान स्वीकार और क्रियान्वित की गई सिफारिशों की संख्या कितनी है और इनपर कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या कृषि, कुटीर उद्योगों की उत्पादकता, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन आदि से ग्रामीण और अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों की आबादी जीवन स्तर में सुधार आया है और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली (बी॰पी॰एल॰) आबादी की प्रतिशतता घटी है; और

(ग) 30 सितम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या कितनी है और उनकी कुल आबादी कितनी है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रदीप जैन 'आदित्य')

(क) से (ग) : वर्ष 2011 और 2012 में परियोजना निदेशकों के वार्षिक सम्मेलनों का खर्च क्रमश: 15.72 लाख रुपए और 13.70 लाख रुपए है। परियोजना निदेशक सम्मेलन विभिन्न डीआरडीए से प्रतिक्रिया प्राप्त करने और विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक प्लेटफार्म उपलब्ध करता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय देश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से गरीबी उपशमन कार्यक्रमों/योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को लाभ देने के लिए इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)/आजीविका एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाना अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें ग्रामीण विकास योजनाओं का उचित कार्यान्वयन शामिल है। ग्रामीण लोगों के जीवन में सुधार लाने से अवगत होने के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों (बीपीएल) की संख्या में कमी

लाना एक संकेतक है। भारत के योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2004-05 से 2011-12 के बीच गरीबी रेखा 32.63 करोड़ से घटकर 21.65 करोड़ हो गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों की पहचान करने हेतु बीपीएल परिवारों की जनगणना करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता देती है जिन्हें मंत्रालय के कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ दिया जाना है। वर्ष 2002 में पिछली बीपीएल जनगणना की गई थी जिसके लिए ग्रामीण परिवारों की स्कोर आधारित रैंकिंग प्रक्रियाविधि तथा 13 सामाजिक-आर्थिक प्राचलों का इस्तेमाल किया गया। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सूचना के अनुसार, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों का विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

*****

अनुबंध

बीपीएल जनगणना 2010 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अभिज्ञात ग्रामीण बीपीएल परिवारों का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अभिज्ञात बीपीएल परिवारों की संख्या (लाख में)
1.	आंध्र प्रदेश	29.893
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.830
3.	असम	18.728
4.	बिहार	113.410
5.	छत्तीसगढ़	17.892
6.	दिल्ली	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है
7.	गोवा	0.071
8.	गुजरात	14.512
9.	हरियाणा	8.583
10.	हिमाचल प्रदेश	2.823
11.	जम्मू एवं कश्मीर	6.179
12.	झारखंड	25.480
13.	कर्नाटक	18.306**
14.	केरल	उपलब्ध नहीं है
15.	मध्य प्रदेश	54.684**
16.	महाराष्ट्र	45.023**
17.	मणिपुर	1.693
18.	मेघालय	2.052
19.	मिजोरम	0.395**
20.	नागालैंड	1.558
21.	ओडिशा	उपलब्ध नहीं है
22.	पंजाब	3.445
23.	राजस्थान	17.362
24.	सिक्किम	उपलब्ध नहीं है
25.	तमिलनाडु	34.848
26.	त्रिपुरा	उपलब्ध नहीं है
27.	उत्तर प्रदेश	100.271
28.	उत्तराखंड	6.211**
29.	पश्चिम बंगाल	68.005**
30.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0.107
31.	चंडीगढ़	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का कार्यान्वयन नहीं किया जाता है
32.	दादर एवं नगर हवेली	0.160
33.	दादर एवं नगर हवेली	0.005
34.	लक्षद्वीप	उपलब्ध नहीं है
35.	पुदुचेरी	उपलब्ध नहीं है
	कुल	592.526

* केवल अंडमान के लिए ** नवंबर 2012 तक